सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान सरकार

राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (RRSMP) के अंतर्गत एसएच–14 के डीग – अलवर–बहरोड़ खंड को सुरक्षित प्रदर्शन गलियारा परियोजना के रूप में विकास

रेसेटलमेंट एक्शन प्लान (आर ए पी/RAP)

नवम्बर–2018

Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. in JV with Royal Automobile Club of Catalonia and in association with InfoTrans Engineers Pvt. Ltd.

कार्य सारांश

परियोजना

भारत सरकार ने राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट (RRSMP) की लागत के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए/IDA) से ऋण प्राप्त हुआ है, और जिसका कुछ हिस्सा परामर्श सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा । परामर्श सेवाएं ("सेवाएं ") में इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम (आई आर ए पी/ iRAP) सर्वेक्षण, काउंटर उपायों का डिजाइन करना और सार्वजनिक निर्माण विभाग– राजस्थान सरकार, जयपुर में प्रदर्शन गलियारे पर लक्षित बहु क्षेत्रिय सड़क सुरक्षा सम्बंधित कार्यान्वयन की निगरानी जैसी गतिविधियां शामिल है। परियोजना भरतपुर जिले के डीग (32.700) से अलवर जिले के बेहरोड (162.850) तक है।

परियोजना में एक सेफ डेमोंस्ट्रेशन कॉरिडोर प्रोग्राम (एस डी सी पी/SDCP) के कार्यान्वयन को विकसित और प्रबंधित करना है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाएँ को कम करना और समन्वित बहु–क्षेत्रीय उपायों के माध्यम से मृतकों को गंभीर रुप से घयाल लोगों की संख्या को कम करना है। यह चयनित प्रदर्शन गलियारे पर एक बहु–क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्यान्वयन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उच्च जोखिम पर iRAP सर्वेक्षण,घनी आबादी वाले राजमार्ग,चुनिंदा नीति समीक्षाओं पर राज्य की सहायता, सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में पीडब्ल्यूडी और अन्य एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना, परियोजना प्रबंधन में सड़क सुरक्षा का समावेष, सड़क सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम और राज्य के परिवहन और पुलिस विभागों के चल रहे सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए उपकरण खरीद कर सहायता प्रदान करना शामिल है । इन उपायों का विस्तृत रोड सेफ्टी मैनेजमेंट कैपेसिटी रिव्यु (आर एस एम सी आर/ RSMCR) के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसमें राज्य की सड़क सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में राज्य की एजेंसियों की तैयारी का आकलन करने के लिए स्थापित दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राजमार्ग के विभिन्न घटकों को प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। आई आर सी (IRC) दिशानिर्देशों और साइट विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्य सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जो राजमार्ग की सुरक्षा और संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य सड़क की भौतिक विशेषताओं में सुधार करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, जिसमें ज्यामिति, पेवमेंट स्ट्रेन्थ, जल निकासी, सड़क के सुरक्षा अनुशासन और सौंदर्य को भी बढ़ाया गया है।

सुधार प्रस्ताव तैयार करने में सामान्य का पालन किया गया है, जो कि इस प्रकार है;

- जंक्शन सुधार
- ज्यामितीय कमी में सुधार
- गांव और शहर क्षेत्रों में चार लेन
- फुटपाथ व नालियों का प्रावधान
- मौजूदा परियोजना सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं को बनाना
- मौजूदा का सुदृढ़ीकरण / पुनर्निर्माण / नया निर्माण
- पैदल यात्री क्रॉसिंग सुविधाओं के लिए प्रावधान
- यातायात संकेत और सड़क फर्नीचर का प्रावधान
- सड़क सुरक्षा सुविधाओं में सुधार;
- बस बे और बस शेल्टर का प्रावधान

परियोजना सड़क, कृषि क्षेत्र में से निकलती है। सड़क पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है जिन पर उच्च और मध्यम घनत्व आवास, वाणिज्यिक गतिविधियां और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां स्थित है। राजमार्ग के साथ कोई बड़ी औद्योगिक गतिविधियां नहीं हैं। इस दस्तावेज़ में प्रस्तावित सेफ डेमो कॉरिडोर परियोजना (एस डी सी पी/SDCP) की रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्शन प्लान (आर ए पी/ RAP) शामिल हैं।

आर ए पी (RAP) भारत सरकार और विश्व बैंक रेसेटलमेंट से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन से संबंधित (ओ पी / बी पी 4.12) नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है जिनमें सार्वजनिक भागीदारी, पर्यावरण मूल्यांकन आदि शामिल हैं।

रेसेटलमेंट एक्शन प्लान योजना (आर ए पी/ RAP) का उद्देश्य

आर ए पी/RAP का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी (PAP)) कम से कम जीवन की उस स्थिति को वापस प्राप्त करें जो परियोजना कार्यान्वयन से पहले थी अथवा परियोजना कार्यान्वयन के बाद उनकी जीवन की स्थिति में सुधार हो।

इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- नुकसान की हानि और सीमा के प्रकार आधार पर पी ए पी /PAP की पहचान करना
- सेफ डेमो कॉरिडोर परियोजना (एस डी सी पी/SDCP) की रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक्शन प्लान नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार हकदार व्यक्तियों का वर्गीकरण करना
- रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रत्येक योग्य व्यक्ति के लिए पात्रता निश्चित करना
- यह सुनिश्चित करना कि सभी पी ए पी/ PAP नीति के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं
- अगर भविष्य में कोई भूमि अधिग्रहण होता है तो पुनर्वास के लिए जमीन की पहचान करना और पी ए पी/ PAP की प्राथमिकताओं को स्थानांतरित करना।
- रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत सहायता को विकसित करना
- रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना और निगरानी के लिए मापदंड बताना
- डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार(डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार) के माध्यम से आर ए पी/ RAP के कार्यान्वयन, जिसे बाद के खंड में वर्णित किया गया है

आर ए पी/ RAP घटकों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

- परिचय और कार्यप्रणाली
- कानूनी ढांचा और पुनर्स्थापन नीति
- सर्वे के परिणाम
- सार्वजनिक परामर्श

- आय बहाली
- संस्थागत व्यवस्था
- शिकायत निवारण तंत्र
- कार्यांवयन अनुसूची
- कार्यांवयन के लिए अनुमानित बजट

जहाँ नीति दस्तावेज़ बताता है कि क्या, क्यों और कैसे, किया जाना चाहिए, वहीं कार्य योजना अधिक विस्तार से बताती है कि कब, किसके द्वारा गतिविधियों को किया जाएगा।

अपेक्षित परियोजना लाभ

सड़क सुरक्षा के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण के हितधारक विभागों द्वारा संयुक्त दृष्टिकोण से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों की रोकथाम के लिए, प्रदर्शन गलियारे परियोजना वर्तमान में अतिआवश्यक है ।

इस परियोजना में एक आदर्श /प्रदर्शन परियोजना के रूप में इस कॉरिडोर का सफलतापूर्वक क्रिर्यान्वयन राज्य के निर्णयकर्त्ताओं (जो कि सुरक्षित सड़कों के लिए कार्यरत हैं), जो कि जमीनी नतीजों से लैस होंगे, उनके लिए प्रकाश की किरण का काम करेगा। यह परियोजना, सड़क सुरक्षा पर ब्रासिलिया घोषणा के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओ में 50% तक मौतें और गंभीर चोटों को कम करने के लिए माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग प्रतिबद्धता में एक बडी उपलब्धि होगी ।

कॉरीडोर में एक प्रभावी आपातकालीन देखभाल प्रबंधन प्रणाली होगी । सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सहायता करने के लिए "गोल्डन आवर" के सिद्धांत का पालन किया गया है, जिसके द्वारा कई जीवन बचाये जा सकते हैं ।

सुरक्षा में लोगों को सडक के माध्यम से बाजारों और सेवाओं तक पहुँचने में सुधार होगा। पीडब्ल्यूडी के आधुनिकीकरण से सड़क क्षेत्र प्रबंधन में सुधार होगा और इसके कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण और परोक्ष रूप से सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा । सड़क उपयोगकर्ताओं को सेफ प्रदर्शन कॉरिडोर विकसित, कार्यान्वित करने और सुरक्षित परिवहन प्रणाली से भी फायदा होगा।

इसके अलावा, यह बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण सड़क दुर्घटनाओं के समाधान में सभी सड़क हितधारकों को एक साथ लायेगा। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णयों की एकरूपता यथार्थ होगी। समाधान के लिए हितधारक विभागों को एक सामान्य मंच की सुविधा दी जाएगी ।

भूमि अधिग्रहण और अनौपचारिक पुनर्वास पर प्रभाव

जनगणना सर्वेक्षण (जून से सितंबर, 2017 के बीच किए गए) के अनुसार, सेफ डेमो कॉरिडोर (SDC) परियोजना में भूमि अधिग्रहण (निजी भूमि) नहीं की जायेगी। केवल मौजूदा सरकारी भूमि पर ही निर्माण प्रस्तावित किया गया है । 13 गांव ऐसे हैं जो इस परियोजना में मामूली तौर से प्रभावित होने जा रहे हैं । सभी 13 गांवों में संरचनाओं और अन्य संपत्तियों पर मामूली असर होगा । इन गांवों में सभी पी ए पी (PAP) गैर शीर्षकधारक हैं । यह आर ए पी (RAP) परियोजना क्षेत्र के 13 गांवों में मामूली प्रभाव से संबंधित है । प्रभाव के प्रकार के सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं :

तालिका 1: प्रभाव का प्रकार

गांव का नाम	ज़रीब दूरी	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	प्रभाव का प्रकार	टिप्पणी
डीग	34.300	1	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	अतिक्रमण
पनिहारी	41.700	9	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
खेरली रोड, नगर		8	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
जालूकी	72.200	21	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
बड़ौदा मेव	81.000	27	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
बगाड थिरया	95.500	10	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
धारा	116.500	4	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
नांगली मुंशी	118.000	1	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	अतिक्रमण
जिंदोली	125.100	2	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
समदा	145.300	2	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
सोडावास	149.00	7	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
बर्डोद	155.200	11	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
बहरोड	162.050	3	संरचना के हिस्से पर प्रभाव	सभी अतिक्रमण हैं
कुल		106		
आजीविका का नुकसान				
जालूकी	72.300	7		
कुल		113		
इस परियोजना के कारण 40 सी पी आर (CPR) प्रभावित होंगे इस परियोजना में 279 प्रभावित व्यक्ति (पी ए पी/ PAP) हैं जिनमें 166 अतिक्रमण शामिल हैं जो निर्माण शुरू होने पर स्वेच्छा से स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं।				

नीति, कानूनी ढांचा और पात्रता

2013 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी, राजस्थान सरकार) द्वारा तैयार रेसेटलमेंट पालिसी एंड फ्रेमवर्क (आर पी एफ/RP&F) को सेफ डेमो कॉरिडोर (SDC) परियोजना के लिए अपनाया गया है। यह राष्ट्रीय नीतियों, राज्य की नीतियों और विश्व बैंक की संचालन नीतियों (संचालन नीति सेशन 4.12, 4.10 और 4.11) के अनुसार है। इस दस्तावेज में परियोजना के तहत सुरक्षा वृद्धि के लिए चयनित गलियारे के उन्नयन के कारण होने वाले प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक प्रभाव को कम करने और प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का पालन करने के लिए अपनाये जाये सिद्धांतों और दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है । तैयार की गई कार्य योजना उपर्युक्त नीतियों में निर्धारित व्यापक रूपरेखा पर आधारित है ।

रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) नीति का सिद्धांत परियोजना से प्रभावित लोगों को पुनः बसाने और पुनर्वासित करने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करना है । विशेष रूप से:

- जहां भी संभव हो, सिविल कार्यों के डिजाइन (जैसे वैकल्पिक डिजाइन या डिजाइन में संशोधन) द्वारा विस्थापन को कम किया जाएगा या पूरी तरह से बचाया जाएगा।
- जहां विस्थापन अपरिहार्य है, उन विस्थापित लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। वे सहकर्मी समूहों के बीच एक इकाई के रूप में स्थित होंगे अथवा उनको नए समुदाय में एकीकृत करने में

सहायता की जाएगी। सबसे कमजोर समूहों को पुनर्स्थापित करने की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा।

- प्रभावित संपत्तियों के लिए पी ए पी (PAP) को प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा दिया जाएगा।
- पर्याप्त सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान की जाएगी।
- आर ए पी (RAP) के डिजाइन और कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए पी ए पी (PAP) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पात्रता सांचा (मैट्रिक्स)

परियोजना के लिए अपनाए गए इस रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) नीति के अंतर्गत, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार क्षतिपूर्ति और सहायता पैकेज के अनुसार अलग–अलग पात्रता प्राप्त है । इस पात्रता मैट्रिक्स को बुनियादी सिद्धांतों (RPF) और परियोजना प्रभावों की प्रारंभिक पहचान के विश्लेषण में अपनाए गए दिशा निर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है ।

सेफ डेमो कॉरिडोर (SDC) परियोजना के लिए तैयार की गई रेसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के लिए प्रस्तावित पात्रता मैट्रिक्स तालिका नीचे दी गई है ।

तालिका 2: एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव प्रकार	पात्रता
1	जिनके पास भूमि के औपचारिक / पहचानने योग्य कानूनी अधिकार हैं (शीर्षक धारक)	
	निजी कृषि का नुकसान, गृहस्थ और वाणिज्यिक भूमि	• जमीन के ऐवज में भूमि, अगर उपलब्ध हो या, नकद प्रतिस्थापन मूल्य पर भूमि के लिए मुआवजा, जो कि आरएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 की धारा 26 में निर्धारित कर प्रदान किया जायेगा। • यदि भूमि आवंटित होती है, दोनों पति और पत्नी के नाम पर होगी। • यदि अधिग्रहण के पश्चात् शेष भूमि आर्थिक रूप से काम की नहीं है तो भूमि मालिक के पास विकल्प होगा कि या तो शेष भूमि को बनाए रखे या बेच दे। • स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का पुर्नभुगतान परियोजना से किया जायेगा। प्रतिस्थापन भूमि, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए दिये गये मुआवजे के भुगतान की तारीख के एक वर्ष के भीतर खरीदी जानी चाहिये। • 500,000 रुपये का अनुदान एक बार या वार्षिकी। • फसलों के नुकसान के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा, यदि कोई।
	निजी संरचनाओं का नुकसान (आवासीय / वाणिज्यिक / आवासीय सह वाणिज्यिक)	• संरचना के लिए नकद मुआवजा प्रतिस्थापन मूल्य आरएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 की धारा 29 के आधार पर जो निर्धारित किया जाएगा। ग्रामीण इलाके में इंदिरा आवास योजना के तहत घर या बदले में 50000 रुपये और आर ए वाई (RAY) के तहत शहरी क्षेत्र में घर या बदले में 100,000 रुपये। यदि घर आवंटित किया गया तो वो पति और

		पत्नी दोनों के नाम पर होगा। • संरचनाओं के ध्वस्त से बची सामग्री का अधिकार। • संरचनाओं को खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। • नये वैकल्पिक घरों / दुकानों की प्रतिस्थापन मूल्य पर वर्तमान दर से पुर्नभुगतान उपरोक्तानुसार तय किया जायेगा। वैकल्पिक घरों/दुकानों को मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक साल मे खरीदा जाना चाहिए। • आंशिक रूप से प्रभावित संरचनाओं के मामले में जहाँ शेष संरचना उपयोगी बनी हुई है, संरचना बहाल करने के लिए अतिरिक्त 10% राशि संरचना को बहाल करने हेतु। आंशिक रूप से प्रभावित ऐसे मामले में जहां संरचनां प्रभावित हुई है और शेष संरचना अनुपयोगी रहती है, अतिरिक्त 25% मुआवजें की राशि पृथक्करण भत्ता के रूप में। • विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50,000 रुपये की एक बार की वित्तीय सहायता हस्तांतरण भत्ता के रूप में। • विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार जिनके पास मवेशी है, को 25,000/– रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी मवेशी शेड के निर्माण के लिए। • पुनर्वास सहायता के रूप में रूपये 50,000 का एक बार अनुदान। • प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो ग्रामीण कारीगर है, छोटा व्यापारी या स्वयं–नियोजित व्यक्ति है और जिसे विस्थापित कर दिया गया है (इस परियोजना में किसी आवासीय सह वाणिज्यिक संरचना का मालिक) को कामकाजी शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की एक बार की वित्तीय सहायता। • 500,000 रुपये का एक बार अनुदान।
2	किरायेदारों / लीज धारक	
	निजी संरचनाओं का नुकसान (आवासीय / वाणिज्यिक / आवासीय सह वाणिज्यिक)	• पंजीकृत पट्टेवार को स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना मालिक के साथ मुआवजा विभाजन होगा। • किरायेदारों के मामले में, तीन महीने लिखित नोटिस के साथ 50,000 रुपये हस्तांतरण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
3	गैर–शीर्षकधारक – आवासीय / वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान	
	गैर–शीर्षकधारक–संरचनाएं सरकारी भूमि	• स्क्वेटर और कमजोर अतिक्रमण के प्रभावित संरचना की प्रतिस्थापन लागत पीडब्ल्यूडी की अनुसूची दर पर बिना किसी मूल्यह्रास के होगी। • संरचनाओं के ध्वस्त होने पर बची सामग्री का अधिकार । • संरचनाओं को खाली करने के लिए चार महीने का नोटिस दिया जाएगा। • आवासीय और वाणिज्यिक स्कैवटर को प्रति परिवार 10,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता दिया जायेगा। (पैरा 7.11 एनआरआरपी 2007)। • वाणिज्यिक स्कैवटर को मासिक निर्वाह / संक्रमणकालीन भत्ता (प्रतिमाह 25 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी) छह महीने की अवधि के लिए विस्थापन की तारीख से (पैरा एनआरआरपी

		–2007 का 7.16)। • स्क्वेटर परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के लिए चुने गए आय उत्पादन क्षेत्र के लिए 5000 रुपये के मूल्य तक की प्रशिक्षण सहायता।
4	कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता	
	अनुसूचित जाति परिवारों, अनुसूचित जनजाति परिवारों, महिला प्रमुख घरों और दिव्यांग	• एक बार अतिरिक्त वित्तीय सहायता न्यूनतम दो सौ दिनों की कृषि मजदूरी (wages) के बराबर (पैरा 7.21.5 एनआरआरपी 2007)।
5	सामुदायिक आधारभूत संरचना / सामुदायिक संपत्ति संसाधनों का नुकसान	
	संरचनाएं और अन्य संसाधन (उदाः भूमि, पानी, संरचनाओं तक पहुंच आदि) प्रभाव के गलियारे के भीतर	• समुदाय से परामर्श से, आम सामुदायिक संरचना की आम संपत्ति का पुनर्निर्माण।
6	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव	
	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित हुई भूमि और संपत्ति	• परिसंपत्तियों, फसलों की हानि और किसी भी अन्य नुकसान का मुआवजा 'ठेकेदार' व 'प्रभावित पार्टी' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

सार्वजनिक परामर्श

प्रस्तावित सड़क पर सुधार कार्यों और परियोजना परिणामों को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी की गई थी। सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, हितधारकों और प्रमुख सामाजिक मुद्दों की पहचान की और रणनीति तैयार की गई। इसमें सामाजिक–सांस्कृतिक विश्लेषण और सामाजिक रणनीति, संस्थागत विश्लेषण का डिजाइन शामिल था और विशेष रूप से इस मुद्दे को ध्यान दिया गया कि इस परियोजना से कितने गरीब और कमजोर समूह लाभान्वित हो सकते हैं।

इसके लिए स्थानीय (समुदाय) स्तर पर परामर्श आयोजित किया गया । परामर्श कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परियोजना गलियारें में नकारात्मक प्रभाव को कम करना और परियोजना के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
महिलाओं से उनकी कार्य में भागीदारी, परियोजना के बारे में धारणा, उनके दैनिक काम आदि पर निर्माण के प्रभाव को समझने के लिए परामर्श किया गया था। प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के विचारों और प्राथमिकताओं का पता लगाने के प्रयास किए गए।

सामुदायिक परामर्श आयोजित करने का उद्देश्यः

- सड़क के प्रभावों के संबंध में प्रभावित लोगों के विचारों को समझने के लिए
- गांव की सभी प्रमुख आर्थिक और समाजिक विशेषताओं को पहचानने और उनका आकलन करने के लिए
- प्रभावी योजना और कार्यांवयन, और
- समुदायिक संपत्ति पर प्रभाव से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ।

परियोजना में संस्थागत व्यवस्था (वर्तमान)

मुख्य अभियंता (PMGSY), पीडब्ल्यूडी राजस्थान सरकार के पास इस परियोजना की समग्र जिम्मेदारी है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (विश्व बैंक परियोजनाओं) द्वारा उन्हें सहायता दी जा रही है । अधिशाषी अभियंता (पर्यावरण एवं सामाजिक) को मुख्यालय स्तर पर पर्यावरण एवं सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया है।

परियोजना में प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था नीचे दिए गए चित्र में दी गई है :

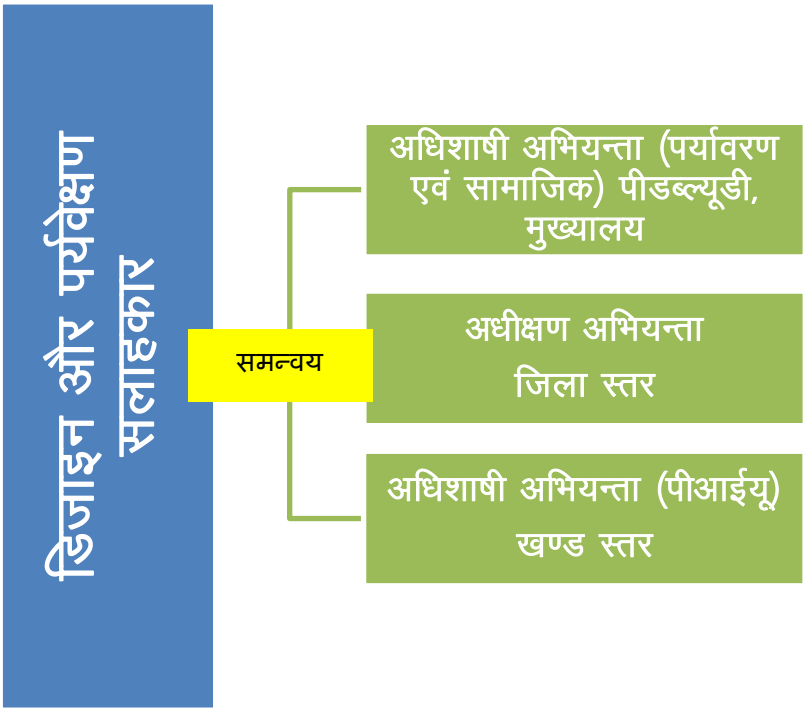

सेफ डेमो कॉरिडोर (SDC) परियोजना में संबंधित अधिकारियों की सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था का विवरण नीचे तालिका में देखा जा सकता है।

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत निवारण तंत्र आर एंड आर का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 'आर एफ सी टी एल ए आर आर (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 भूमि और अन्य संपत्तियों, मुआवजे दरों आदि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करने के लिए पी ए पी (PAP) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पर्याप्त प्रावधान प्रदान करता है।

यद्यपि परियोजना में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा लेकिन पुनर्वास सहायता से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। मुकदमे से बचने के लिए, जो परियोजना कार्यान्वयन में देरी कर सकती है, आर ए पी (RAP) के पास क्षेत्रिय स्तर (डिवीजन स्तर) और मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन करने का प्रावधान है। शिकायत निवारण कक्ष परियोजना स्तर पर शिकायतों को सुलझाने की कोशिश करेगा। क्षेत्र स्तर पर समिति के प्रस्तावित सदस्यों में सहायक अभियंता (संबंधित पीआईयू),

संबंधित वार्ड काउंसिलर / सरपंच, डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार से सामाजिक विशेषज्ञ और पीएपी (PAP) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण समिति में मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई–PMGSY) पीडब्ल्यूडी मुख्यालय, कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण और सामाजिक), ईएसएमयू–(ESMU), पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और पीएमसी (PMC) शामिल होंगे।

तालिका 3: पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और अन्य एजेंसियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

कार्मिक	भूमिका और जिम्मेदारियां
अधिशाषी अभियंता (एनवीवी –सोशल), पीडब्ल्यूडी हेडक्वॉर्टर	• पीआईयू, फील्ड स्टाफ, इंजीनियरिंग और राजस्व अधिकारीयों के साथ आर एंड आर के कार्यान्वयन को समन्वित करना। • आर एंड आर गतिविधियों के लिए बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • आरएपी लागू करने के लिए डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा तैयार माइक्रो योजनाओं को मंजूरी देना। • डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार और एम एंड ई कंसल्टेंट्स द्वारा किए गए आर एंड आर और एलए से संबंधित प्रगति की निगरानी करना। • आर एंड आर कार्यान्वयन और गतिविधियों की समीक्षा के लिए खण्डीय कार्यालय पर आवधिक बैठकें आयोजित करना। • जमीन अधिग्रहण व आरएपी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के साथ संपर्क (यदि आवश्यक हो) करना। • राज्य और जिला स्तर समिति की बैठकों में भाग लेना। • आरएपी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी सदस्यों और पीआईयू के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। • अध्ययन करने और उन्हें समन्वयित करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करना। • आरएपी कार्यान्वयन पर वित्तीय प्रगति की निगरानी करना।
अधीक्षण अभियन्ता जिला स्तर	• स्वीकृति के लिए माइक्रो योजनाओं को सत्यापित करना और पीआईयू को भेजना। • डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार और एम एंड ई सलाहकार द्वारा किये जाने वाले आर एंड आर से संबंधित प्रगति में पीआईयू की सहायता करना। • आर एंड आर कार्यान्वयन पर आवधिक बैठकें आयोजित करना और हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना। • सामुदायिक भवन का पुनर्निर्माण के लिए समन्वय की जिम्मेदारी
अधिशाषी अभियंता, खण्ड स्तर (पीआईयू)	• भूमि आवाप्ति (एलए) (यदि आवश्यक हो) और आर एण्ड आर के लिए सम्पूर्ण प्रभारी। • एलए और आर एंड आर गतिविधियों की सुविधा के लिए राज्य और जिला स्तर की बैठकों में भाग लेना। • डीएससी और एम एंड ई सलाहकार से काम निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार ।

	• क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार माइक्रोप्रान की जांच करना और स्वीकृति देना। • मासिक आधार पर प्रगति का आवधिक मूल्यांकन और मुख्यालय को रिपोर्टिंग • पीएपी को मुआवजे के वितरण में सहायता। • सामुदायिक भवनों के पुनर्निर्माण के लिए समन्वय की जिम्मेदारी।
पीएमसी	• एलए / आर एंड आर की आंतरिक निगरानी और पर्यवेक्षण में सहायता करना। • एलए / आर एंड आर और सिविल कार्य में समन्वय प्रक्रिया सहायता करना।
डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार	• संभावित प्रतिकूल प्रभावों मैं प्रस्तावित शमन उपायों और आर एंड आर एंटाइटेलमेंट के आरे में पीएपी को बताना। • आरएपी और अन्य पहलुओं पर प्रसार सामग्री और पुस्तिकाएं वितरित करना। • आर एंड आर गतिविधियों की शुरूआत पर सार्वजनिक सुविधा सूचना अभियान के आयोजन में ईएसएमयू की मदद करना। • परियोजना की आर एंड आर सहायता / मुआवजा नीति के अनुसार समय पर वितरण सुनिश्चित करना। • यह सुनिश्चित करना कि सिविल कार्यों की शुरूआत से पहले आर एंड आर की गतिविधियां पूरी दी गयी है। • सूक्ष्म योजना तैयार करना। • मुख्यालय, जिला और डिवीजन के स्तर परद्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेना। • आरएपी के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना। • पहचाने गए पीएपी पहचान पत्र तैयार करना और जारी करना। • संयुक्त बैंक खातों के खोलने में मदद करना। (पीएपी और उसके पति / पत्नी) • क्षतिपूर्ति/सहायता प्राप्त करने में पीएपी की मदद करना। • कमजोर पीएपी पर ध्यान केंद्रित करके यह सुनिश्चित करना कि वे समय पर अपना यथावत राशि प्राप्त कर सकें। • मुआवजे की राशि और आर एंड आर सहायता का उत्पादक उपयोग करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। • संसाधन आधारों और अन्य विकल्पों के बारे में उन्हे समझाना जिससे कि वे अपना विकास कर सकें। • सुनिश्चित करें कि कमजोर पीएपी को दिए गए उनकी देनदारियां मुआवजा और पुनर्वास सहायता दोनों का यथोचित भुगतान मिले। • प्रधान कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट जमा करना। • पीएपी की आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान करना और प्रशिक्षण पश्चात् संबंधित आय उत्पन्न करने वाली कार्यवाहियो में पर्याप्त रूप से सर्मथन देना। • यह सुनिश्चित करना कि पीएपी द्वारा जिन शिकायतों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके निवारण के लिए शिकायत निवारण समिति समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

	• आरएपी गतिविधियों को लागू करने के लिए मुख्यालय और पीआईयू के साथ समन्वय करना। • आरएपी में सूचीबद्ध पीएपी का सत्यापन करना। • पीएपी की आर्थिक पुर्नवास के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करना। • प्रस्तावित वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेना। • सहायता/मुआवजे के चैक वितरण के लिए जन बैठकों और ग्राम सभा में भाग लेना।

कार्यान्वयन अनुसूची, निगरानी और बजट

आर ए पी (RAP) के कार्यान्वयन में मुख्य रूप से प्रभावित संरचनाओं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए भुगतान करने के लिए सहायता शामिल है । योजना का क्रियांवयन एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा । साधारणतया सिविल कार्यो के अनुबन्ध पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार हकदार व्यक्तियों को मुआवजा तथा R&R सहायता वितरित करने के पश्चात् आवटिंत किया जाता है।

विशिष्ट परिस्थितियों में आर ए पी (RAP) के कार्यान्वयन के लिए समयरेखा में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थितियों में मौसम सम्बन्धी कारकों, सामाजिक और आर्थिक कारण, सहायक कर्मचारीयों का प्रशिक्षण और वित्तीय बाधायें शामिल है। इनके अलावा अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। कार्य सम्पादन में परियोजना प्रबंधन इकाइयों और विभिन्न अन्य शामिल विभागों और एजेंसियों के बीच निरंतर समन्वय शामिल होगा।

इस परियोजना में पुनर्स्थापन कार्य योजना के कार्यान्वयन में सभी पी ए पी (PAP) का पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल है। सिविल कार्य अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, ठेके पैकेज के लिए ठेकेदारों को सभी समेकन से मुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । आर ए पी (RAP) के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन (निर्माण अनुसूची) के साथ संकलित की गई है ताकि सिविल कार्यों की शुरूआत और प्रगति बाधित में न हो। उप परियोजना में आर एंड आर (R&R) गतिविधियों के लिए एक समग्र कार्यान्वयन कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न उप कार्यों और सिविल वर्क शेड्यूल परियोजना के डिजाइन चरण में आगे तैयार किए जाएंगे। हालांकि, अनुक्रम बदल सकता है या परियोजना के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण देरी हो सकती है और तदनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए समय समायोजित किया जा सकता है। विवरण नीचे दी गई तालिका में हैं।

तालिका4 : कार्यान्वयन योजना

गतिविधि	स्थिति	समय	जिम्मेदारी
गतिविधि 1. स्थानांतरगमन और पुनर्वास			
1. संरेखण को अन्तिम रूप देना	संपूरित		डीपीआर सलाहकार और सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. पीएपी की पहचान को अन्तिम रूप देना	संपूरित	नवम्बर 2017	डीपीआर सलाहकार
3. आरएपी प्रारूप को अन्तिम रूप देना	प्रगति पर	मई 2018	डीपीआर सलाहकार
4. आरएपी की समीक्षा और अनुमोदन	प्रगति पर	सितम्बर 2018	पीडब्ल्यूडी, पीएमसी सलाहकार
5. आरएपी का प्रकटीकरण	लम्बित	अक्टूबर 2018	पीडब्ल्यूडी
6. डीजीआरसी का गठन	लम्बित	दिसम्बर 2018	पीडब्ल्यूडी
गतिविधि 2. भूमि अधिग्रहण			
भूमि अधिग्रहण	शून्य		

आय बहाली

आय बहाली गतिविधियों का मूल उद्देश्य यह है कि कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति की आय के परियोजना पूर्व स्तरों की बहाली प्रभावित समुदायों में व्यक्तियों, परिवारों, और सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श से आय बहाली योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि उन्हें लाभ मिल सके । जनगणना सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से आय बहाली गतिविधियों पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, कार्यावयन एजेंसी (डी एस सी–DSC) प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आय बहाली कार्यक्रम की पहचान की जायेगी।

आय बहाली के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करना शामिल है :
लक्षित समूहों की पहचान और संबंधित आय बहाली गतिविधियों का चयन–कार्यावयन एजेंसी (डिजाइन – पर्यवेक्षण सलाहकार) के लिए प्रभावित व्यक्तियों की पहचान और व्यवहार्य आय बहाली विकल्पों की एक सूची तैयार करने की जरूरत है । आय बहाली विकल्पों की पहचान करते समय, डी एस सी (DSC) निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

- प्रभावित व्यक्तियों का शिक्षा स्तर,
- कौशल अधिकार,
- विस्थापन अवधि के बाद संभावित आर्थिक गतिविधियों,
- बची हुई भूमि की सीमा
- आय के पूरक के लिए आर्थिक गतिविधि की उपयुक्तता,
- बाजार क्षमता और विपणन सुविधाएं और
- प्रभावित पी ए पी (PAP) को प्रशिक्षण सहायता

प्रशिक्षण: अपनी आजीविका खोने वालों के लिए कौशल वृद्धि पर प्रशिक्षण के लिए पात्रता मैट्रिक्स के हिसाब से मौद्रिक सहायता प्रदान की गई है । डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार की सहायता से

पीआईयू (PIU) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुधारात्मक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए पीआईयू (PIU) द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें की जाएंगी, यदि आवश्यक हो, तो विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों/विभागों के साथ समन्वय के लिए सुझाव दिए जाएंगे । डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार (डी एस सी–DSC) प्रभावित व्यक्तियों को उनके पसंदीदा ट्रेडों के आधार पर समूहीकृत करेगी और प्रशिक्षण के लिए स्थल आदि का चयन जैसी सभी व्यवस्थाएं करेगी ।

डिजाइन और पर्यवेक्षण सलाहकार (डीएससी) को विभिन्न व्यापारों / गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान की पहचान करनी होगी, जो पी ए पी (PAP) के खोने वाली आजीविका के आधार पर नौकरी के प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं ।

पात्रता ढांचे में आय की बहाली के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- मासिक उत्थान / संक्रमणकालीन भत्ता विस्थापन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रति माह न्यूनतम कृषि मजदूरी (एन आर आर पी–NRRP –2007 के पैरा 7.16) वाणिज्यिक अनाधिवासी (स्क्वैटर) के लिए

- चुनिंदा क्षेत्रों में आय अर्जित करने हेतु वाणिज्यिक अनाधिवासी परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के लिए 5000 रुपये के मूल्य तक प्रशिक्षण सहायता।